न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट बीजवा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस
मुकदमा नं0 1/209 /16 निर्णय दिनांक : 23.05.2017

उनवान

1. हरनामसिंह पुत्र अमीर सिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी ग्राम जखोपुर तह0 रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. तहसीलदार, रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 0.07 हैक्ट0 वाके ग्राम जखोपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी सिवायचक लगानी है जिस पर वादी करीब 60 वर्षो से, काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा हाल में भी वादी काबिज काश्त है। वादी विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व से तन्हा काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए वादी असल प्रतिवादी के स्थान पर स्वयं को मुखालफाना कब्जा के आधार पर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 299 रकबा 0.07 हैक्ट0 वाके ग्राम जखोपुर तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को गैरखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीजवा में दिनांक 23.05.2017 को पेश हुई। पैरोकार सरकार ने राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि आरम्भ से आदिनांक तक सिवायचक दर्ज है जिस पर वादी का कोई हकूक नही बनता है। लिहाजा दावा वादी खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीजवा में दिनांक 23.05.2017 को पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक विवादित आराजी आरम्भ से आदिनांक तक सिवायचक दर्ज है जिस पर वादी का कोई हकूक नही बनता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक वादी का वाद साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत बीजवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट बीजवा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 209 / 16 निर्णय दिनांक : 23.05.2017

उनवान

1. हरनामसिंह पुत्र अमीर सिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी ग्राम जखोपुर तह0 रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. तहसीलदार, रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक वादी का वाद साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.05.2017 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)